REPORT OF DEPARTMENT-RELATED PARLIAMENTARY STANDING COMMITTEE ON SCIENCE AND TECHNOLOGY, ENVIRONMENT AND FORESTS

SHRI D. RAJA (Tamil Nadu) : Sir, I beg to present the Two Hundred and First Report (in English and Hindi) of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Science and Technology, Environment and Forests on Action Taken by the Government on the recommendations contained in the One Hundred and Eighty-eighth Report of the Committee on the Demands for Grants (2008-09) of the Ministry of Environment and Forests.

REPORT OF DEPARTMENT–RELATED PARLIAMENTARY STANDING COMMITTEE ON TRANSPORT, TOURISM AND CULTURE

SHRI SITARAM YECHURY (West Bengal) : Sir, I present One Hundred and Forty-eight Report (in English and Hindi) on National Highways Authority of India (Amendment) Bill, 2008 of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture.

REPORT OF DEPARTMENT RELATED PARLIAMENTARY STANDING COMMITTEE ON URBAN DEVELOPMENT

SHRI SURENDRA MOTILAL PATEL (Gujarat) : Sir, I lay on the Table a copy (in English and Hindi) of the Thirty-ninth Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Urban Development (2008-09) on Action Taken by the Government on the Recommendations contained in the Thirty-sixth Report of the Committee on "Government of India Stationery Office, (GISO) Kolkata" of the Ministry of Urban Development.

LEAVE OF ABSENCE

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Hon. Members, I have to inform that a fax has been received from Shri Dilip Singh Judev stating that he is unable to attend the House from 12th to 26th February, 2009 due to some unavoidable circumstances. He has, therefore, requested for grant of leave of absence from 12th to 26th February, 2009 of the current Session of Rajya Sabha.

Does he have the permission of the House to remain absent till the end of current Session of Rajya Sabha?

(No Hon. Member dissented)

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Permission to remain absent is granted.

MATTERS RAISED WITH THE PERMISSION

Grave Misbehaviour of Police in Jharkhand

श्री यशवंत सिन्हा (झारखंड) : उपसभापति महोदय, मैं बहुत दुख और कुछ ग्लानि के साथ, मेरे साथ 16 फरवरी को जो घटना रांची में घटी, उसके बारे में निवेदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं आपका आभारी हूं कि आपने इसके लिए मुझे समय दिया। मैं अपने उन सहयोगियों का भी आभारी हूं, जिन्होंने इस मुद्दे को राज्य सभा में घटना के दूसरे दिन यानी 13 फरवरी को उठाया। उपसभापति महोदय, अपनी पार्टी के घोषित कार्यक्रम के अनुसार यह मांग रखने के लिए हम लोग एक रैली में राजभवन भवन की तरफ जा रहे थे कि झारखंड में सौदेबाजी बंद हो

और राज्यपाल महोदय विधान सभा को भंग करने के लिए भारत सरकार को अपनी सिफारिशें भेजें। राजभवन के चार गेट हैं। झारखंड के पूर्व मुख्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा और मेरी डयूटी लगी थी कि हम लोग एक नम्बर के गेट पर जाएंगे। तो हम लोग एक नम्बर के गेट की ओर बढ़ते रहे। पुलिस ने कई स्थानों पर बेरिकेड्स लगाए हुए थे। लेकिन झारखंड में जैसे हर मामले में भ्रष्टाचार है, उसी प्रकार हमको लगता है कि बेरिकेड्स बनाने में भी भ्रष्टाचार हुआ है, क्योंकि उन बेरिकेड्स में कोई ताकत ही नहीं थी। जैसे ही उनको छुआ गया, वे बेरिकेड्स ढह गए। पहला बेरिकेड ढह गया, फिर हम दूसरे बेरिकेड पर पहुंचे, दूसरा बेरिकेड भी उसी तरह ढह गया। इस तरह हम राजभवन की तरफ आगे बढ़ रहे थे। किसी स्टेज पर स्थानीय पुलिस या मजिस्ट्रेसी ने यह नहीं कहा कि हम आपको गिरफ्तार करते हैं। उनका हमको रोकने का जो प्रयास था वह बहुत ही दुर्बल प्रयास था। उसके बाद जब हम लोग राजभवन से कुछ ही दूर थे तो पानी की बौछार हमारे ऊपर डाली जाने लगी और उसके बाद अचानक हमने देखा कि एक फायर टेंडर से वे लाल रंग के पानी को प्रदर्शनकारियों के ऊपर डाल रहे हैं। उस समय बात समझ में नहीं आई। हम सब लोग उस लाल पानी से सरोबार हो गए, लाल रंग से ढक गए। उसके बाद अचानक वहां की पुलिस ने बिना चेतावनी के, बिना किसी नोटिस के भयंकर लाठीचार्ज करना शुरु कर दिया। हमें ऐसा लगा कि जैसे वे खास तौर पर श्री अर्जुन मुंडा को और हमको टारगेट कर रहे हैं। उपसभापति महोदय, हमारे चारों तरफ हमारी पार्टी के कार्यकर्ता थे और हमारे चारों तरफ झारखंड पुलिस के ही सुरक्षाकर्मी थे जो यूनिफॉर्म में पुलिस वर्दी में थे। जिस तरह का वहां भयंकर लाठीचार्ज हुआ, उसमें हमारे दो सुरक्षाकर्मी राम जतन पासवान और सत्यदेव राम जो पुलिस यूनिफार्म में थे, उनका सिर फट गया। प्रकाश कुमार नाम के एक पुलिसकर्मी की टांग में भयंकर चोट लगी, जिससे फ्रेक्चर हो गया। हमे बचाने में हमारे निजी सचिव हिमांशु को सिर में भयंकर चोट लगी, जिसके चलते उनको सिर में 7 स्टिचिज़ लगे। हमारे कार्यकर्ता श्री खोखा सिंह, जो बिल्कुल मेरे बगल में थे, उनका हाथ और पांव दोनों फेक्चर हो गए इस ब्रूटल लाठीचार्ज में। हमारे अनेक कार्यकर्ता बुरी तरह जख्मी हुए। पुलिस ने हमको पीटा, मैं जख्मी हुआ, उपसभापति महोदय, मैंने चेंबर में आपको अपने घाव दिखाए हैं और आपने भी काफी सदमा महसूस किया जब आपने हमारे शरीर के उन घावों को देखा, लेकिन मैं इसकी भी शिकायत नहीं कर रहा हूं। हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस ने बर्बरतापूर्वक हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया, हम इसे भूलने को तैयार हैं, लेकिन उसके बाद जो घटना घटी, वह मैं सदन को बताना चाहता हूं। हम घायल अवस्था में, श्री अर्जुन मुंडा, पूर्व मुख्य मंत्री, एक हमारे विधायक श्री सरयू राय जी जिनका कि सिर फट गया था, उससे खून निकल रहा था और मैं - तीनों लोग सड़क पर घायल होकर बैठे हुए थे। महोदय, रांची के अखबारों में जो हमारी सारी बातचीत जो मजिस्ट्रेट व पुलिस के साथ हुई, उसका एक-एक शब्द छपा है। जब हम लोग वहां पर घायल अवस्था में बैठे हुए थे तो ये लोग हम लोगों के पास आए और उन्होंने कहा कि हम आपको गिरफ्तार करते हैं। मैंने उनसे आग्रह किया कि आप गिरफ्तार तो कर लेना, लेकिन हम सभी चोटिल हैं, घायल हैं तो क्या आपका यह फर्ज नही बनता कि आप हमें फर्स्ट एड पहुंचाएं? आप देख रहे हैं कि श्री सरयू राय के सिर में खून बह रहा है, तो क्या आप उन को फर्स्ट एड नहीं देंगे? महोदय, यह सारा conversion अखबार में लिखा हुआ है, लेकिन वह यही कहते रहे कि हम आपको गिरफ्तार करेंगे, हम आपको गिरफ्तार करेंगे। जब हमने उनसे पूछा कि हमारा जुर्म क्या है? तो उन्होंने कहा कि आपने 144 धारा का उल्लंघन किया है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN : I would like to give some more time because the Hon. Member is making personal explanation. His mike can be on.

श्री यशवंत सिन्हा : तो उपसभापति महोदय, उन्होंने हमारे लिए फर्स्ट एड की कोई व्यवस्था नहीं की और सब के सामने उन्होंने कहा कि आप अगर ऐसे गिरफ्तारी नहीं दोगे तो हम आपको जबरन यहां से उठाकर ले जाएंगे। उन्होंने सब के सामने घोषणा की कि आपको गिरफ्तार किया जाता है। महोदय, हम लोग जमीन पर पड़े थे तो हमको बोरे की तरह पुलिस वालों ने हाथ-पांव और सिर पकड़कर, मुझे जैसे एक बोरे को लादते हैं, उन्होंने एक जीप के पीछे लाद दिया, डम्प कर दिया। उसके बाद उनमें कोई एक पदाधिकारी थे जिन्हें मैं नहीं जानता कि वह कौन थे और एक ड्राइवर था, सरकार की तरफ से। वहां चारों तरफ बैरीकेड्स लगे थे इसलिए पता नहीं चल रहा

था कि कहां से, कैसे निकलना है, तो मजिस्ट्रेट या जो भी पदाधिकारी ड्यूटी पर थे, उनको मैंने कहते सुना कि मैं एक फोन करके आता हूं। मैं जीप मे पड़ा रहा, वह फोन करने गए तो कभी वापस उसके बाद नहीं लौटे और बहुत देर इंतजार करने के बाद हमारे सहयोगियों ने हमारी अवस्था को देखते हुए यह महसूस किया कि शायद हमको एक अस्पताल ले जाना चाहिए। उसके बाद वह एक निजी अस्पताल में हमको लेकर गए जहां हमारी मरहम पट्टी की गयी।

उपसभापति महोदय, सवाल यह उठता है कि उन्होंने कहा कि हम गिरफ्तार करते हैं। क्या उन्होंने आपको हमारी गिरफ्तारी की सूचना दी, राज्य सभा को गिरफ्तारी की सूचना आयी और अगर गिरफ्तार किया तो छोड़ा क्यों? अगर मैंने धारा 144 का उल्लंघन किया था और मैंने उनसे कहा कि अगर उल्लंघन किया तो हम लगातार उल्लंघन करते आ रहे हैं न, आप पीटने के पहले भी हमसे कह सकते थे कि मैं आपको गिरफ्तार करता हूं, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और जिस तरह का व्यवहार उन्होंने किया, वह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है जबकि वह जानते थे कि मैं कौन हूं। महोदय, मेरा तो यहां तक आरोप है कि उन्होंने जानबूझकर, टार्गेट करके, हमको लक्ष्य करके हमारी पिटायी की।

श्री राजीव प्रताप रूडी : यह राज्य सरकार द्वारा सुनियोजित था।

श्री यशवंत सिन्हा : उपसभापति महोदय, मैं अपने कार्यकर्ताओं का आभारी हूं और अपने उन पुलिसकर्मियों का भी आभारी हूं जो मेरी सुरक्षा में थे। अगर वे नहीं होते तो मैं यह नहीं जानता कि आज मैं आपके सामने जिन्दा खड़ा भी होता या नहीं। ...(**व्यवधान**)...

श्री राजीव प्रताप रूडी (**बिहार**) : सर, राष्ट्रपति शासन में देश में यही सब कुछ हो रहा है।

श्री उपसभापति : बैठ कर बोलना मना है।

श्री राजीव प्रताप रूडी : सर, मैं खड़ा हो सकता हूं?

श्री उपसभापति : नहीं, आप परमिशन लेकर खड़े हो सकते हैं।

श्री यशवंत सिन्हा : उपसभापति महोदय, मैं यही निवेदन करने के लिए उठा था कि मैंने भी बहुत शासन देखा है, प्रशासन भी देखा है, लेकिन जिस तरह की हरकत हमने रांची पुलिस की देखी और Magistracy की देखी, इस तरह की हरकत मैंने अपने लम्बे जीवन में आज तक नहीं देखी है। मैंने दोनों तरफ रहकर देखा है और मैं यह विश्वास के साथ कह सकता हूं that the use of force was unexpected, without warning and excessive without any doubt; absolutely unwarranted; कोई आवश्यकता नहीं थी। वह जिस moment कहते हैं हम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं, जैसा उन्होंने दूसरे गेट पर कहा और लोगों ने सहर्ष गिरफ्तारियां भी दीं, वहां पर buses खड़ी थीं, लोग उसमें बैठकर चले गए लेकिन हमारे यहां ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जिस तरह का व्यवहार वहां पर राष्ट्रपति शासन में पुलिस और Magistracy ने हम लोगों के साथ किया है, वह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं यह जानता हूं कि सदन के एक सदस्य के विशेषाधिकार का यह घोर हनन है। इससे बढ़कर दूसरी कोई बात नहीं हो सकती है। अब या तो विशेषाधिकार खत्म कर दिये जाएं या फिर इस बात को तय कर दिया जाए कि मैम्बरों की पिटाई होगी, उनकी गिरफ्तारी होगी और किसी को कहीं खबर करने की जरूरत भी नहीं है। अगर विशेषाधिकार हैं, तो मुझे यह कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि 12 तारीख को रांची में उनका घोर हनन हुआ है। यह अपने आप में इतनी गंभीर बात है कि मुझे लगता है कि उन दोषी पदाधिकारियों को जितना भी दंडित किया जाए, शायद वह कम होगा, यही मैं निवेदन करना चाहता हूं। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Please, wait...*(Interruptions)*. No, there is no debate ...*(Interruptions)*... आप बैठिये अहलुवालिया जी, ...(**व्यवधान**)... आपने भी नोटिस दिया है ...(**व्यवधान**)...

DR. V. MAITREYAN (Tamil Nadu) : Sir, the hon. Home Minister should respond.

श्री उपसभापति : मिस्टर मैत्रेयन, आप बैठिये। ...(**व्यवधान**)... देखिए ...(**व्यवधान**)...

DR. V. MAITREYAN : We want the hon. Home Minister to come.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL) : Sir, I will convey to the hon. Home Minister.

DR. DEPUTY CHAIRMAN : Mr. Maitreyan, let me speak. The matter has already been raised in the House, on the day it occurred, the 13th. The Home Minister responded. In fact, because of this, I requested the Home Minister to respond and he responded and he will come back to the House. This is a very serious matter. The privilege notice given is under the consideration of the hon. Chairman and there are no two opinions about it in the House, and this matter should be taken seriously, because it is a Member's right and they cannot behave in this manner; whoever they are.

SHRI S. S. AHLUWALIA (Jharkhand) : Sir, the Chief Secretary of Jharkhand and the Home Secretary to the Government of India should be called.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Mr. Ahluwalia, you are a Member of the Committee on Privileges...*(Interruptions)*.

DR. V. MAITREYAN : Sir, privilege is an another issue...*(Interruptions)*. The Home Minister should come here and respond.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : The very fact that the House is unanimous, we condemn this incident...*(Interruptions)*. The matter is now under the consideration of hon. Chairman. You have given a privilege notice and ...*(Interruptions)*.

DR. V. MAITREYAN : We want to know what is the Home Minister's reaction.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Hon. Minister has said that he will convey the sentiment of the House...*(Interruptions)*. Now, the matter has been raised. I request the Government to see...*(Interruptions)*

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : I will convey to the hon. Home Minister the sentiment of the House.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : We would like to know from the Government whether any report has been received, or any action has been taken. That should be reported to the House...*(Interruptions)*. No, it will be reported to the House.

श्रीमती सुषमा स्वराज (मध्य प्रदेश) : उपसभापति जी, संसदीय कार्य मंत्री उस दिन यहां नहीं थे ...(**व्यवधान**)...

श्री शिवानन्द तिवारी (बिहार) : माननीय उपसभापति महोदय ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : मैंने आज कहा है कि It has to be reported to the House. ...*(Interruptions)*.

DR. V. MAITREYAN : Sir, it should be reported today. Already four days have passed ...*(Interruptions)*.

श्री शिवानन्द तिवारी : सदन को सूचित करेंगे और अभी तक सदन को सूचित नहीं किया गया।..(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN : I am sure that the Government will take it seriously and the matter will be reported to the House...*(Interruptions)*

SHRI RAJIV PRATAP RUDY : Otherwise, it will be close to ...*(Interruptions)*

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Why otherwise...*(Interruptions)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : उपसभापति जी, संसदीय कार्य मंत्री उस दिन यहां नहीं थे। यह मामला 13 तारीख को उठा और हमारे नियमों में जितनी विधाएं उपलब्ध हैं, इसको उठाने की, उनके माध्यम से उठा। प्रश्नकाल स्थगन का नोटिस था, उसमें चेयरमैन साहब ने मुझे अनुमति दी। शून्यकाल में स्वयं नेता प्रतिपक्ष ने इसको उठाया। प्रिविलेज का नोटिस उस दिन श्री अहलुवालिया जी ने दिया। गृह मंत्री जी की बात से असंतुष्ट होकर हमने बहिर्गमन किया और उसके बाद 02:00 बजे यह मांग करते हुए कि कम से कम अब तो जानकारी लेकर गृह मंत्री को आना चाहिए, हमने हाऊस को adjourn कराया। आपने जो बात कही, उस समय आपने specially गृह मंत्री को रोका था और रुकने के बाद उन्होंने कहा था कि मेरे पास अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं है जिससे कि मैं स्वीकार सकूं या नकार सकूं और 02:00 बजे उनको यहां आकर बताना चाहिए था। यह एक व्यक्ति का मामला नहीं है, यह पूरे सदन की अवमानना का सवाल है। 13 तारीख से आज 17 तारीख हो गई है, हमारा यह कहना है कि अभी गृह मंत्री ने यह भी गवारा नहीं समझा कि वह कम से कम आप तक ही यह सूचना भिजवा देते कि यह मामला सदन में उठा था, इतना गंभीर है और इस पर यह जानकारी मुझे मिली है। इसलिए इसको open ended मत छोड़िए। मेरा यह कहना है कि आज आप समय तय करिए...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : सुषमा जी, आज from the Chair, it has been said that the matter should be reported and I am sure that the Government will respond.

DR. V. MAITREYAN : Sir, we have a pro-active Home Minister ...*(Interruptions)*

श्री सुषमा स्वराज : आप समय निश्चित करिए। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Hon'ble Minister for Parliamentary Affairs want to respond. Please listen to him...*(Interruptions)*

श्री पवन कुमार बंसल : मैं गृह मंत्री जी से बात कर लूंगा और जितना जल्दी से जल्दी ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती सुषमा स्वराज : आप निर्देश दीजिए। ...(**व्यवधान**)... आप समय निश्चित कीजिए।...(व्यवधान)...

श्री पवन कुमार बंसल : आगे बात करके जितना जल्दी से जल्दी ...(**व्यवधान**)... सर, मैं यह कह रहा हूं कि जल्दी से जल्दी ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : यानी कि 13 को यह मामला उठा था, 14 holiday था, 15 holiday था, आज ...(**व्यवधान**)...

डा. मुरली मनोहर जोशी (उत्तर प्रदेश) : सदन को जानकारी दी जानी चाहिए थी और वे स्वयं भी मान रहे हैं कि सूचना दी जानी चाहिए ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : देखिए, ऑनरेबल मैम्बर्स से मेरी अपील है that the House has taken it seriously. Dont dilute this. Let us go ahead...*(Interruptions)*

श्री एस. एस. अहलुवालिया : 2:00 बजे आकर सूचना दें, 3:00 बजे आकर सूचना दें, आप जो समय निश्चित करें ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN : The Home Minister will have to come back to the House with a report, and, he has assured this.

श्रीमती सुषमा स्वराज : आप समय निश्चित कीजिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : देखिए, आप भी हुकूमत में थे ...(**व्यवधान**)...

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : Sir, I am saying, as early as possible ...*(Interruptions)*

श्री उपसभापति : कभी भी हो सकता है, Any time. It will be as early as possible....*(Interruptions)* The House is seized of the matter. The Chair has directed the Home Minister to come to the House. Beyond that, what do you expect?

डा. मुरली मनोहर जोशी : उपसभापति जी, ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN : I have directed...*(Interruptions)*

DR. MURLI MANOHAR JOSHI : Sir, the Home Minister ...*(Interruptions)*

MR. DEPUTY CHAIRMAN : No, no. I have instructed...*(Interruptions)*. Let there be reasonable.*(Interruptions)*. I cannot ask the Home Minister to come right now...*(Interruptions)*

श्री कलराज मिश्र (**उत्तर प्रदेश**) : सर, आपने कहा था कि इसका जवाब आएगा ...(**व्यवधान**)...

DR. MURLI MANOHAR JOSHI : Sir, this is the audacity of the Home Minister...*(Interruptions)*

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : Sir, one does not know what is the schedule...*(Interruptions)* I have said, as early as possible.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : The Minister has to come back. I cannot ask him to come today immediately. But the Minister has said that he would come as early as possible. There is some sancity to it.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI : Sir, already four days have passed.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : No, no. Joshi ji, four days नहीं हुए। On Friday, the matter was raised...*(Interruptions)*

श्री एस. एस. अहलुवालिया : सर, जो प्रिविलेज का नोटिस दिया गया है, उसको admit किया जाए और the Chief Secretary, the DGP of Jharkhand and the House Secretary should be called and ...*(Interruptions)*

MR. DEPUTY CHAIRMAN : That matter is with the Privileges Committee. What can I say? ...*(Interruptions)*

DR. MURLI MANOHAR JOSHI : Sir, the incident took place on 12th. It was raised in the House on 13th. Was it not the duty of the Home Minister to find it out right on 13th? On 12th of February, an MP has been arrested, on information comes to you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Information has come right now, but we will have to examine...*(Interruptions)*

DR. MURLI MANOHAR JOSHI : But, it should have come ...*(Interruptions)*... Information should have reached the House immediately. It did not reach...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN : If it has not reached, the rules of the House are there. Action will be taken according to the rules.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI : That is one thing. It is also the tradition of the House that if a Minister is instructed by the Chair, then he should attend.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : No, that day, I did not issue any instructions, let me tell you. On that day I asked the Minister to respond and he responded. Now I am issuing the directions that he should come back...*(Interruptions)*

DR. MURLI MANOHAR JOSHI : Please give directions regarding time ...*(Interruptions)*

MR. DEPUTY CHAIRMAN : My appeal to the Members is let the matter...*(Interruptions)*... We have discussed it sufficiently. We have seen the hon. Members' sentiments. We are all ...*(Interruptions)*. The hon. Chairman and myself...*(Interruptions)*.. Please, please...*(Interruptions)*... This is a very serious matter...*(Interruptions)*... This is a very serious matter. The House has discussed sufficiently about it....*(Interruptions)*...

DR. MURLI MANOHAR JOSHI : Sir, the House is taking it seriously, but the Minister is not taking it seriously...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN : The Government has also taken it seriously. He will come back...*(Interruptions)*... Please, please...*(Interruptions)*... Next is Mr. Chaturvedi...*(Interruptions)*... Mr. Chaturvedi ...*(Interruptions)*...

श्री राजीव प्रताप रूड़ी : अगर जवाब नहीं आएगा, तो हम लोग यह समझने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि इसमें राज्य सरकार और केन्द्र सरकार की मिलीभगत थी ...(**व्यवधान**)...

DR. BIMAL JALAN (Nominated) : May I make an additional point? ...*(Interruptions)*... Sir, I want to make an additional point that this is not about Mr. Yashwant Sinha, an honourable M.P., an honourable former Finance Minister and a great dignitary. It is not about that. It is something symptomatic of a total collapse of law and order. If a crime had happened under the President's Rule to person of his eminence, then, what about us? ...*(Interruptions)*

MR. DEPUTY CHAIRMAN : It is a matter of concern. Let the Government respond to this...*(Interruptions)*... There is already a notice....*(Interruptions)*... That will be taken up....*(Interruptions)*.

DR. BIMAL JALAN : Sir, what about the ordinary citizen of India who is not a Member of Parliament, who has not the privilege of the Parliament ...*(Interruptions)*... Please take it more seriously, in a wider context about the citizens of India.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : That is the sentiment of the House. That will be respected. जया जी, आप बोलिए, जो बोलना चाहती हैं ....(**व्यवधान**)....

SHRIMATI JAYA BACHAN (Uttar Pradesh) : Sir, we respect what he has said. But, I would like to tell you, a month back, two Members of Rajya Sabha were arrested and were not allowed to move out of Gorakhpur Airport. We had made a complaint. But, nothing has been done. धारा 144 के तहत हम लोगों को वहां पुलिस वालों ने मारा। इस कांड में श्री अमर सिंह जी के सिर पर चोट आई थी...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN : देखिए, मैं मजबूर हूं। I cannot go on allowing things which are not there...*(Interruptions)*...

SHRIMATI JAYA BACHCHAN : Nothing has been done and nothing will be done.

श्री उपसभापति : आप उसका नोटिस दीजिए, हम देखेंगे ...(**व्यवधान**)...

SHRIMATI JAYA BACHCHAN : There was no respect for any Rajya Sabha Member. Our Chairman was not informed that we were going to be arrested. And, these rules are being broken continuously. What are we going to do about this?...*(Interruptions)*... Sir, we are Members of the Upper House...*(Interruptions)*

MR. DEPUTY CHAIRMAN : I am fully aware of the Members' right to be protected and there is a Committee looking into all this. Already there is another case pending of Dr. Ejaz Ali. That will be done. Yes, Mr. Chaturvedi.

Leaking of Assistant Station Master Question Paper in Rajasthan

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (राजस्थान) : माननीय उपसभापति जी, 15 फरवरी को रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा ASM के पदों को भरने के लिए एक परीक्षा आयोजित होनी थी। जयपुर, अजमेर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर में इसके लिए 10 बजे का समय तय हुआ था। 131 पद थे, 76,000 अभ्यर्थी थे। इस परीक्षा में बड़ी संख्या में बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पश्चिमी बंगाल और राजस्थान के अभ्यर्थी बैठे थे। एक दिन पहले रात को 14 तारीख को दलालों द्वारा अभ्यार्थियों को पेपर लीक कर दिया गया। पुलिस महानिरीक्षक श्री उमेश मिश्रा द्वारा जानकारी दी गई कि प्रश्नों का उत्तर बताने के लिए लोगों को जयपुर बुलाया गया, उत्तर रटवाए गए और उनको प्रश्नपत्र दे दिया गया। उनको प्रश्न पत्र दे दिया गया और कहा गया कि एक के साढ़े चार लाख रुपए लगेंगे। एक हजार रुपए अग्रिम देना होगा, पचास हजार रुपए पेपर का मिलान करने के बाद देना होगा और चार लाख रुपए नियुक्ति के बाद देना होगा। इस प्रकार की स्थिति बनी और पुलिस ने रिपोर्ट की है कि साढ़े चार लाख रुपए में ठेका ले लिया गया था और कहा गया कि जयपुर में सिंधी कैंप के पास पुरोहित होटल, ममता होटल और गोयल होटल में लोग रुके हुए हैं। जब प्रश्न पत्र होना था, ठीक उसके छः घंटे पहले वहां सर्च किया गया और 105 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जब प्रश्न पत्र को compare किया गया तो वह हू-ब-हू वैसा ही था, जैसा प्रश्न पत्र अजमेर में मिलना था। पुलिस ने जो सूचना दी, उसके अनुसार गिरोह के सरगना धीरेन्द्र कुमार प्रियरंजन पटना से, क्षेमेन्द्र पांडे और वसित कुमार नवादा से, कृष्णानंद और प्रवीण कुमार लखीसराय से और विनोद राय छपरा से थे। इन लोगों को गिरफतार किया गया। ये सारे के सारे लोग बिहार के हैं। जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनमें से 82 बिहार के, 06 यूपी के, 04 राजस्थान के, 01 हरियाणा का और 01 बंगाल का रहने वाला है। महोदय, यह काम बिना रेलवे ऑथोरिटीज की मिलीभगत के संभव